

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 315/2016

बउनवान

सूरजकरण उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री बिस्धीलाल, जाति माली, निवासी बड़वा, तहसील अन्ता, जिला-बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 05.08.2024

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 10.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बड़वा, तहसील-अन्ता की गै०मु०रास्ता आराजी खसरा नम्बर 2001 रकबा 1.83 है. में से 0.20 है., पर अतिक्रमी मानकर 400/- रुपये शास्ति एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना है जो खिलाफ कानून है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अपीलांट को इस प्रकरण की कोई सूचना नहीं दी गई बिना तामील के यह निर्णय पारित किया है। प्रार्थी ने भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा उसकी ओर कोई बकाया राशि भी नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2016 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार अन्ता द्वारा टीम गठन कर गहनता से सर्च करने के उपरान्त भी वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर अभिलेख भिजवाये जाने में असमर्थता प्रकट की। इस पर हमने पत्रावली में संलग्न रेकार्ड के आधार पर ही प्रकरण में बहस समाप्त कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं परोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व इससे पूर्व कब प्रार्थी को बेदखल किया उसका कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय परफोर्मा पर आधारित है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट

जिला कलक्टर

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रमाणित प्रति निर्णय में संवत् 2072 में अतिचार करने पर प्रकरण संख्या 107/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2015 से बेदखली की कार्यवाही किये जाने का अंकन है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 172/16 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दें कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 10.03.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,
बारा (उप०)